

pan>

Ttile: Introduction of the Representation Of the People (Amendment) Bill, 2015 (Insertion Of New Section 61b).

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of People Act, 1951."

*The motion was adopted.*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**16.0 ¼ hours**